उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 21 | 1-15 नवंबर 2023 | ₹ 20/-

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन?

- दिल्ली वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घोटाला
- फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां बनाने के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव
- इस्लामी देश इजरायल के खिलाफ निर्णायक फैसला लेने में विफल
- अलीगढ़ का नाम बदलने पर विवाद

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन? 04
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी 07
दिल्ली वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घोटाला 09
अलीगढ़ का नाम बदलने पर विवाद 10
मुस्लिम वोटों को बटोरने के लिए 'मोदी मित्र' सक्रिय 12

विश्व

फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां बनाने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव 13
अमेरिकी संसद में इजरायल के लिए 14.5 अरब डॉलर की सैन्य सहायता मंजूर 14
पाकिस्तान सरकार ने लाखों अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान भेजा 15
मलेशिया द्वारा हमास का समर्थन जारी रखने का फैसला 15
आतंकवाद के भीषण शिकंजे में पाकिस्तान 16
म्यांमार में 50 हजार लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर 18

पश्चिम एशिया

इस्लामी देश इजरायल के खिलाफ निर्णायक फैसला लेने में विफल 19
मुस्लिम देशों से अपनी सीमाएं खोलने की अपील 21
20 देशों के नागरिकों के लिए दुबई के यात्रा वीजा पर प्रतिबंध 22
सूडान में सेना और मिलिशिया के बीच खूनी झड़पें 22
कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को बचाने का प्रयास 24
क्या ईरान और अमेरिका में युद्ध छिड़ सकता है? 27

सारांश

हाल ही में सऊदी अरब में इजरायल-हमास युद्ध पर चर्चा के लिए इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) और अरब लीग का एक आपातकालीन सम्मेलन हुआ। हालांकि, इस सम्मेलन में इजरायल के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाने पर सहमति नहीं बनी। इस सम्मेलन में भाग लेते हुए अल्जीरिया और लेबनान ने सभी मुस्लिम देशों से यह अनुरोध किया था कि वे इजरायल और उसके समर्थक देशों को तेल और गैस की सप्लाई करना फौरन बंद कर दें और उसकी आर्थिक नाकाबंदी करें। इन देशों ने यह भी मांग की कि तमाम मुस्लिम देश इजरायल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ लें, मगर अधिकांश अरब देशों ने इनकी मांगों का समर्थन नहीं किया।

गौरतलब है कि इस समय आठ मुस्लिम देश ऐसे हैं, जिन्होंने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर रखा है। उर्दू अखबारों की यह शिकायत है कि अरब देश इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं और उसे सिर्फ धमकी देते हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि दुनिया भर के मुस्लिम देश इजरायल के फिलिस्तीन पर हमले की तो निंदा कर रहे हैं, मगर वे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपने देशों में शरण देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस्लामी जगत के 100 से अधिक शीर्ष उलेमा ने इस संदर्भ में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के प्रमुखों से अपील की है कि वे अपने देश की सीमाएं इन पीड़ित फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए खोल दें, मगर अभी तक इस अपील का किसी भी मुस्लिम देश पर कोई असर नहीं हुआ है।

अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड की एक बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नगर निगम के इस फैसले के बाद इस मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नगर निगम के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे 'मुस्लिम दुश्मनी' बताया है। इन विपक्षी पार्टियों का यह भी आरोप है कि भाजपा और संघ परिवार ने आगामी चुनावों में बहुसंख्यक समाज के वोटों को बटोरने के लिए यह फैसला किया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने यह दावा किया है कि कुख्यात इस्लामी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के तार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। हाल ही में इस संदर्भ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि गिरफ्तार किए गए आतंकी मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। एनआईए ने अभी तक आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े हुए सात आतंकियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दायर कर दी है। एनआईए ने यह भी दावा किया है कि इस आतंकी संगठन से जुड़े हुए जो लोग पकड़े गए हैं वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और नामी कंपनियों में लाखों के मासिक वेतन पर काम कर रहे थे। उनकी योजना देश में सीरियल बम ब्लास्ट करके खून की होली खेलने की थी। एनआईए का यह भी कहना है कि इस गिरोह से जुड़े हुए कई लोग अंडरग्राउंड हैं और उनकी तलाश में राष्ट्रव्यापी छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के निर्माण में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है और इस अभियान के अधिकांश नेता इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। पाकिस्तानी चिंतक मौलवी अब्दुल हक ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान बनाने में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और उर्दू भाषा का सबसे अधिक योगदान रहा है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेश उस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें अरब देशों के अधिकृत क्षेत्रों में यहूदी बस्तियां बसाने की इजरायली सरकार की योजना का विरोध किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत सरकार का यह स्पष्ट मत है कि आतंकवाद के मामले में भारत किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा है कि हम हमास द्वारा बनाए गए बंधकों की रिहाई की मांग करते हैं। जहां तक फिलिस्तीन का संबंध है, भारत सरकार की यह पुरानी नीति रही है कि शांतिपूर्ण माहौल में वार्ता द्वारा संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की जाानी चाहिए।

राष्ट्रीय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आतंकी संगठन आईएसआईएस से कनेक्शन?

एबीपी न्यूज (13 नवंबर) की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। अब तक इस संदर्भ में सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके तार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े बताए जा रहे हैं। उर्दू अखबारों के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस ने अब्दुल्ला अर्सलान, माज बिन तारिक और राकिब इमाम को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। जबकि वजीहुद्दीन को छत्तीसगढ़ से, नावेद सिद्दीकी, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद नाजिम को संभल से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से अब्दुल्ला अर्सलान, माज बिन तारिक और वजीहुद्दीन के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र होने की पुष्टि विश्वविद्यालय प्रशासन कर चुका है। अन्य गिरफ्तार संदिग्धों के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन जांच कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब्दुल्ला अर्सलान अलीगढ़ के आलमबाग मोहल्ले का रहने वाला है। जबकि माज बिन तारिक का संबंध अलीगढ़ के मोहल्ला मंजूरगढ़ी से है। वहीं, राकिब इमाम अलीगढ़ के सिविल लाइंस मोहल्ले का रहने वाला है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 नवंबर) के अनुसार एनआईए ने सात आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि इनका संबंध इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस से है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने आतंकवाद के प्रशिक्षण के लिए गुप्त प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया था, जिसमें आईईडी बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि ये लोग देश में हिंसक गतिविधियों के लिए फंड भी इकट्ठा करते थे। इन सात आरोपियों में दो मध्य प्रदेश और पांच महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके नाम मोहम्मद इमरान, मोहम्मद याकूब साकी,

अब्दुल कादिर, नसीरुद्दीन काजी, जुल्फिकार अली, साकिब नाचन और आकिफ अतीक नाचन शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि इस साल 18 जुलाई को पुणे पुलिस ने मोहम्मद शाहनवाज और मध्य प्रदेश के दो लोगों मोहम्मद इमरान और मोहम्मद याकूब साकी को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें ले जा रही थी तो शाहनवाज पुलिस की गाड़ी से फरार हो गया था। जबकि मोहम्मद इमरान और मोहम्मद याकूब साकी से पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता चला कि ये दोनों लोग आतंकी संगठन से संबंधित हैं और राजस्थान की एक कार में विस्फोटक पदार्थ बरामद होने के केस में वहां की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। तब पुलिस ने इस केस को 'आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल' का नाम दिया था और इस केस में पुलिस ने तीन अन्य आतंकियों तलहा लियाकत अली खान (पुणे), रिजवान अब्दुल हाजी अली (दिल्ली) और अब्दुल्ला फैयाज शेख (दिल्ली) को मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में रखा था।

बाद में दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) एचजीएस धालीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि शाहनवाज को दिल्ली के जैतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ था। शाहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी। बाद में उसने धर्मांतरण करके अपना नाम खदीजा मरियम रख लिया था। अभी शाहनवाज की पत्नी और बहन दोनों अंडरग्राउंड हैं और उन्हें खोजने का काम जारी है। एनआईए का कहना है कि मोहम्मद इमरान और शाहनवाज के लिंक पुणे की आईटी फर्म में काम करने वाले इंजीनियर जुल्फिकार अली से है। जुल्फिकार को आईएसआईएस से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह मुंबई की ऑर्थर रोड़ जेल में बंद है। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि जुल्फिकार ही इस केस का मास्टरमाइंड और फाइनेंसर है। उसने इमरान और शाहनवाज को गुप्त प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण दिलाया था और उन्हें पैसे भी भिजवाए थे। इमरान को पैसे पहुंचाने वाला कादिर दस्तगीर पठान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 नवंबर) के अनुसार हाल ही में मुंबई से गिरफ्तार किए गए शाहनवाज और रिजवान से पूछताछ के बाद एनआईए ने देश भर में उन आतंकियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया है, जोकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने की आड़ में भारत में हिंसा फैलाने की आतंकी गतिविधियों में जुटे हुए थे। तीन नवंबर को अलीगढ़ से अब्दुल्ला अर्सलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश में बम धमाके करने की तैयारी कर रहा था। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ले आई है। उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि अब्दुल्ला अर्सलान और माज बिन तारिक से पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत से छात्र और कर्मचारी आतंकी

गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और वे उत्तर प्रदेश में आतंकी हमलों की योजना बना रहे हैं। इन दोनों से पूछताछ के बाद एक अन्य आतंकी वजीहुद्दीन के नाम का पता चला, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था और वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाद में उसे भिलाई से गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत कुमार ने दावा किया कि वजीहुद्दीन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई छात्रों को आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ा था।

इंकलाब (9 नवंबर) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इन दिनों गुप्तचर एजेंसियों के रडार पर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मोहम्मद वसीम अली ने यह स्वीकार किया कि जो व्यक्ति पकड़े गए हैं वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। अब्दुल्ला अर्सलान ने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की शिक्षा प्राप्त की है और माज बिन तारिक भी बीकॉम का छात्र रहा है। इन दोनों ने हाल ही में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों से संपर्क स्थापित किया था। इसके बाद वे इस मॉड्यूल में शामिल हो गए। गुप्तचर एजेंसियों का दावा है कि अलीगढ़ और मुस्लिम विश्वविद्यालय में आतंकी संगठन आईएसआईएस के तार गहराई से जुड़े हुए हैं।

रोजनामा सहारा (8 नवंबर) के अनुसार एनआईए की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के शामली में एक मकान पर छापा मारा। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान से आए एक परिवार के कलीम नामक युवक को एनआईए ने आतंकी संगठन से जुड़े होने के कारण गिरफ्तार किया था। छापामार टीम ने इस मकान से कुछ तस्वीरें और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की हैं। इसके बाद इस मकान को सील कर दिया गया। जांच टीम ने कलीम के भाई तहसीम के घर पर भी छापा मारा। परिवारजनों ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि तहसीम अब कहां रह रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 नवंबर) के अनुसार आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और वे आपस में कोडवर्ड में बात करते थे। ये आतंकी देश की नामी कंपनी में काम करते थे और इनका मासिक वेतन लाखों रुपये का था। इनमें से एक आतंकी जुल्फिकार अली एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था और उसका सालाना वेतन 31 लाख रुपए था। वहीं, शाहनवाज एक खनन इंजीनियर है और उसे बम बनाने की विशेष जानकारी है। इसी तरह से तीसरा आतंकी कादिर दस्तगीर पठान पुणे में ग्राफिक डिजाइनर का काम करता था और उसने अपने दो सहयोगियों इमरान खान और याकूब साकी को ग्राफिक डिजाइन बनाना भी सिखाया था। इनका हैंडलर मोहम्मद नामक एक व्यक्ति था, जो अभी फरार है। बम बनाने के लिए वे जो सामग्री खरीदते थे उसके लिए वे कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनकी गतिविधियों पर पर्दा पड़ा रहे। एनआईए का दावा है कि ये आरोपी पुणे में सीरियल बम धमाके की तैयारी कर रहे थे।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी

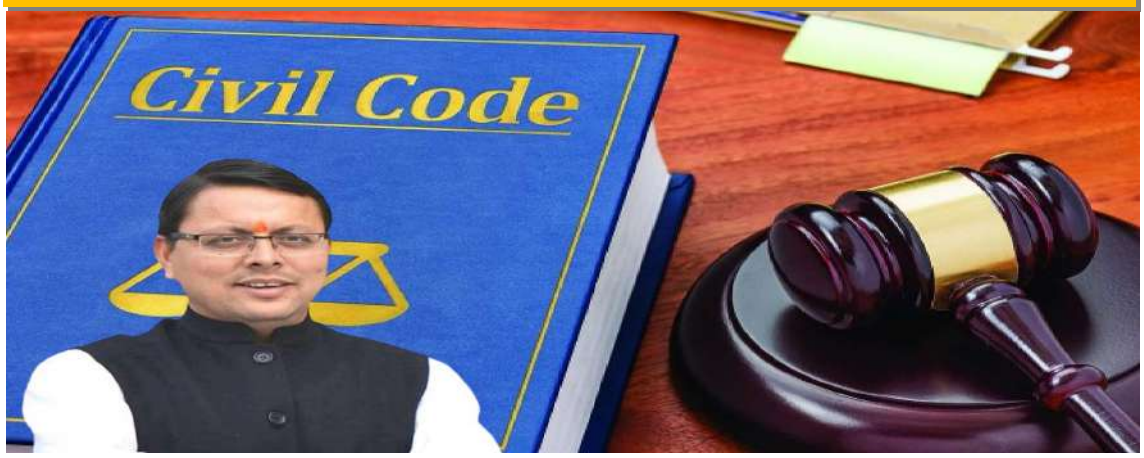

इत्तेमाद (12 नवंबर) के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विधानसभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रस्ताव का जो मसौदा तैयार किया गया है, उसमें विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को समाज के सभी वर्गों पर लागू करने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त विवाह का पंजीकरण, तलाक, संपत्ति का अधिकार, गुजारा भत्ता और बच्चों की अभिरक्षा के कानून को भी समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू करने का उल्लेख है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जो पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार को यह आशा है कि अगर विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे देश भर के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने 27 मई 2022 को राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य राज्य में जनता के व्यक्तिगत कानून, दीवानी मामलों और राज्य में लागू अन्य कानूनों की समीक्षा करना था। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने जो घोषणापत्र जारी किया था, उसमें यह वायदा किया गया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। नवगठित उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में ही इस कमेटी के गठन की घोषणा की थी। इस वर्ष के सितंबर महीने में तीसरी बार कमेटी की अवधि में चार महीने का विस्तार किया गया था। इससे पूर्व 30 जून को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने पत्रकारों को बताया था कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बिल का प्रारूप तैयार किया जा चुका है और इसे सरकार को पेश किया जाएगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जैसे ही यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी हम राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर देंगे। राज्य सरकार द्वारा गठित इस कमेटी में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के अतिरिक्त दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह और दून विश्वविद्यालय की उपकुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल को शामिल

किया गया था। इस कमेटी ने समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगे थे। गौरतलब है कि भाजपा शासित दो अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार के लिए कमेटियों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर विधि आयोग ने भी इस संदर्भ में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगे थे। कानून से संबंधित संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के आदिवासियों पर समान नागरिक संहिता को को लागू करने के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए थे और उनके विशेष रस्मो-रिवाज का उल्लेख किया था। आरएसएस से संबंधित संगठन वनवासी कल्याण आश्रम ने इस सुझाव का स्वागत किया था कि आदिवासियों को इस कानून से बाहर रखा जाए। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड की कमेटी ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी पंजीकरण की योजना पेश की थी।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (12 नवंबर) के अनुसार इस कानून का प्रारूप न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित एक कमेटी ने तैयार किया था। इस कमेटी ने राज्य के विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगे थे। सरकारी दावा यह है कि दो लाख से अधिक लोगों ने इस संदर्भ में अपने सुझाव दिए थे। जानकार सूत्रों के अनुसार अब राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा के विशेष अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो इसका प्रभाव शरिया कानूनों के तहत मुसलमानों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने पर पड़ेगा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख देश के संविधान में भी है और नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत इसे नेताओं के विवेक पर छोड़ दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार किया जा सकता है, मगर इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 37 यह कहता है कि इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक और न्याय को सुनिश्चित बनाना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।

तासीर (14 नवंबर) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि उत्तराखंड सरकार चुनाव में माहौल बनाने के लिए विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने और उसमें समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून पारित करने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह आरोप लगाया था कि कुछ राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को उकसाने का प्रयास कर रही हैं। भारत की चुनावी राजनीति में समान नागरिक संहिता के मामले को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अभी तक देश में विभिन्न धर्मों से संबंधित लोगों के लिए अपने धर्म और आस्था के आधार पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले में अलग-अलग कानून हैं, मगर समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद देश के सभी धर्मावलंबियों पर समान कानून लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय हमें बार-बार डंडा मारती है और समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कहती है। लेकिन वोट बैंक के भूखे लोग इसमें रूकावट डाल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह दावा किया था कि तीन तलाक पर बने कानून के बाद महिलाओं के शोषण में वृद्धि हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदि अनेक संगठनों ने यह आरोप लगाया था कि सरकार इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उछाल रही है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड में करोड़ों का घोटाला

रोजनामा सहारा (14 नवंबर) के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में हुए अनियमितताओं के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान और दस अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए तीन व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली की एक अदालत ने इन तीनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए तीन दिन के रिमांड पर ईडी के हवाले कर दिया है। इनके नाम जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी बताए जाते हैं। ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वे अपने बयान बार-बार बदल रहे हैं। यह केस 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित है। इस केस में ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके 32 लोगों को गैरकानूनी तौर पर वक्फ बोर्ड में भर्ती किया था। गैरकानूनी तौर पर भर्ती किए गए लोगों से मोटी रकम वसूली गई, जिसे उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया। इसके अतिरिक्त वक्फ बोर्ड की विभिन्न संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर देकर भी काफी रकम बटोरी गई।

ईडी ने कहा है कि सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों को एजेंसी ने अपनी जांच का आधार बनाया है और इस संबंध में पिछले महीने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह और उनके एक दर्जन से अधिक सहयोगियों के मकानों पर छापा मारा गया था। एजेंसी ने यह दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए तीनों लोग अमानतुल्लाह के नजदीकी साथी हैं और नकद लेन देन में उनका हाथ था, जिससे भारी रकम हासिल की गई और इस धनराशि से दिल्ली में अनेक अचल संपत्तियां विभिन्न नामों पर खरीदी गईं। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि इन छापों के दौरान डिजिटल प्रमाणों के रूप में काफी सामग्री बरामद की गई है, जोकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अमानतुल्लाह खान की भूमिका पर प्रकाश डालती है।

विभिन्न अखबारों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में सबसे पहले सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह से पूछताछ की थी और इस आधार पर विभाग ने चार स्थानों पर छापे मारकर 24 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। इन छापों में दो अवैध पिस्तौल भी बरामद हुए थे और बाद में इस संबंध में अमानतुल्लाह को गिरफ्तार भी किया गया

था। इन समाचारों में कहा गया है कि सीबीआई की एक प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों के सिलसिले में दर्ज रिपोर्ट अमानतुल्लाह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का आधार बनीं। हालांकि, 28 दिसंबर 2022 को अमानतुल्लाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर सत्ता में आई थी। लेकिन अब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक अन्य मंत्री सत्येन्द्र जैन सहित पार्टी के कई प्रमुख नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

इंकलाब (1 नवंबर) के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के इतिहास में यह पहला अवसर है जब बोर्ड के मामलों की जांच सीबीआई, एसीबी और ईडी जैसी एजेंसियां कर रही हैं। हाल ही में बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बोर्ड के 75 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और यह आरोप लगाया है कि इन कर्मचारियों को गैरकानूनी तौर पर नौकरी पर रखा गया था। दूसरी ओर, वक्फ बोर्ड से निकाले गए कर्मचारियों ने एक बैठक में अदालती दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। सांसद कुंवर दानिश अली ने इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के फैसले को तानाशाही बताया है और कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की साजिश हो रही है और इसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की भी मांग की है। वक्फ मामलों से संबंधित वकील शाहिद अली ने कहा कि यह वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की साजिश है। जब बोर्ड नहीं होगा तो इसकी सवा सौ से अधिक चर्चित संपत्तियों पर सरकार कब्जा कर लेगी। केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य रईस खान पठान ने कहा है कि कर्मचारियों को निकालने का यह फैसला सरासर गलत है। मुस्लिम लीग की दिल्ली ईकाई ने एक प्रस्ताव में इस सरकारी कार्रवाई की निंदा की है।

अलीगढ़ का नाम बदलने पर विवाद

इंकलाब (8 नवंबर) के अनुसार अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकारी मंजूरी मिलने के बाद अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा। अलीगढ़ नगर निगम की बैठक हंगामे के बीच शुरू हुई, जिसमें भाजपा के निगम पार्षद संजय पंडित ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पेश किया। इस पर विपक्षी पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि, नगर निगम में भाजपा के पार्षदों का बहुमत है, इसलिए यह प्रस्ताव पारित हो गया। गौरतलब है कि यह पहला अवसर नहीं है जब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की चर्चा शुरू हुई है। विरोधी पक्ष का कहना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा ने यह खेल खेला है।

इंकलाब (9 नवंबर) के अनुसार अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने के प्रश्न पर राजनीतिक क्षेत्रों में गरमा-गरमी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे 'गंगा-जमुनी तहजीब' पर हमला करार दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा की नीयत नाम बदलने के बहाने समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने इसे देश के इतिहास और संस्कृति पर हमला करार देते हुए देश को विभाजन करने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस मुख्यालय से जारी एक बयान में शाहनवाज आलम ने कहा है कि अंग्रेज भी यही चाहते थे कि हिंदू

महासभा और आरएसएस देश के मुस्लिम नामों को बदलने का अभियान छेड़ें, ताकि देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़े। आज योगी आदित्यनाथ सरकार भी अंग्रेजों के इसी सपने को साकार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि रामपुर और सीतापुर के नवाब शुरू से ही मुसलमान थे, लेकिन किसी ने इन नामों को बदलने के बारे में सोचा तक नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी का कहना है कि भाजपा की सरकार न सिर्फ शहरों के ही नाम बदल रही है, बल्कि योजनाओं के नामों में भी परिवर्तन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, इसलिए वह यह नया शोशा छोड़कर जनता को भ्रमित करना चाहती है।

उर्दू टाइम्स (8 नवंबर) के अनुसार अलीगढ़ का नाम बदलने की चर्चा काफी पुरानी है। विश्व हिंदू परिषद ने 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ का पुराना नाम हरिगढ़ था। बाद में इसे बदलकर अलीगढ़ कर दिया गया था। साल 1992 में जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस नाम को बदलने का प्रयास किया था, मगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए उन्हें अपने इरादों में सफलता नहीं मिली थी।

इत्तेमाद (10 नवंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि अलीगढ़ नगर और यहां की मुस्लिम विश्वविद्यालय एक शताब्दी से मुसलमानों की राजनीति और संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र रही है। यही कारण है कि वर्तमान सरकार इसे अपना निशाना बना रही है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का चौथा शहर होगा, जिसका नाम हालिया वर्षों में बदला गया है। इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया था। जबकि मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया था।

इस संपादकीय में यह भी दावा किया गया है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इस विश्वविद्यालय का देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इस विश्वविद्यालय का पाकिस्तान निर्माण के आंदोलन में भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है और पाकिस्तान के लिए संघर्ष करने वाले कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने यहां से शिक्षा प्राप्त की थी।

उर्दू टाइम्स (5 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीतापुर जिला के एक गांव अमानुल्लापुर का नाम बदलकर जमुना नगर रख दिया है। इस संदर्भ में तीन नवंबर को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (राजस्व) सुधीर कुमार गर्ग ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

टिप्पणी: आजादी के बाद से अब तक भारत के 100 से अधिक नगरों के नाम बदले जा चुके हैं। आजादी के बाद यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा अलग हो गया और उसे उत्तरांचल का नाम दिया गया। बाद में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। इसी तरह से 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। 1978 में पूना का नाम बदलकर पुणे किया गया। वहीं, बनारस का नाम बदलकर वाराणसी कर दिया गया और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया।

मुस्लिम वोटों को बटोरने के लिए 'मोदी मित्र' सक्रिय

सियासत (11 नवंबर) का कहना है कि नफीस अंसारी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। भाजपा ने उन्हें आने वाले चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए 'मोदी मित्र' की सूची में शामिल किया है। मोदी मित्र का मतलब यह है कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं और आने वाले चुनावों में ये मुस्लिम मतदाताओं के मतों को भाजपा को दिलवाने के लिए स्वैच्छिक कार्य करेंगे। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि भाजपा ने देश में 25 हजार मुसलमानों का एक समूह बनाया है, जोकि मुसलमानों के घरों में जाकर मोदी सरकार द्वारा चलाई गई अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं से मुसलमानों को होने वाले फायदों के बारे में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी का कहना है कि इस समूह में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों और चिंतकों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम उलेमा और सेवानिवृत्त उच्चाधिकारियों को भी इस समूह से जोड़ा गया है, ताकि आने वाले चुनावों में मुसलमानों को भाजपा की ओर आकर्षित किया जा सके और विपक्ष द्वारा फैलाए गए इस दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया जाए कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है। मगर पर्यवेक्षकों का यह कहना है कि भाजपा ने यह अभियान इसलिए छेड़ा है, ताकि मुस्लिम मतदाताओं को विभाजित करके विपक्ष को कमजोर किया जाए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता यासिर जिलानी का दावा है कि उनकी पार्टी ने पिछले दो आम चुनावों में मुसलमानों के नौ प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे। उन्होंने कहा कि अब हमारा यह प्रयास है कि आने वाले चुनावों में 17-20 प्रतिशत मुस्लिम वोट भाजपा को प्राप्त हों। भाजपा की चुनावी रणनीति बनाने वाले एक अधिकारी ने बताया कि मोदी मित्र लोकसभा के 543 क्षेत्रों में से उन 65 क्षेत्रों पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30-40 प्रतिशत है।

विश्व

फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां बनाने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव

सियासत (13 नवंबर) के अनुसार इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है और इस युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इधर, फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियां बनाने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव का अमेरिका और कनाडा सहित सात देशों ने विरोध किया। जबकि 18 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। वहीं, भारत समेत 145 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव पर भारत का फैसला फिलिस्तीन संबंधी उसकी पुरानी नीतियों पर आधारित है। हमास की ओर से इजरायल पर किए गए हमलों का हवाला देते हुए भारत सरकार ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि आतंकवाद के मामले में भारत कोई समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थाई प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि हमारी सहानुभूति बंधकों के साथ है और हम फौरन बिना शर्त उनकी रिहाई की मांग करते हैं। भारत की यह पुरानी नीति रही है कि इजरायल-फिलिस्तीन विवाद में बातचीत का आधार दो मुख्य सिद्धांतों पर होना चाहिए। एक तो इजरायल के साथ वार्ता शांतिमय ढंग से होनी चाहिए और दूसरा, एक स्वशासी फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण होना चाहिए। सात अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकी घटना बताया था और इस घटना की निंदा की थी। वर्तमान प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिसमें गाजा पट्टी में इजरायल-हमास के बीच स्थिर युद्धविराम की बात कही गई थी। भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 नवंबर) के अनुसार फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के निर्माण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव का

भारत ने समर्थन किया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 145 देशों ने वोट दिए। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में पूर्वी यरुशलम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों और अधिकृत गोलान हाइट्स में इजरायल द्वारा यहूदी बस्तियां बनाने के प्रयास की निंदा की गई है। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन के अधिकृत क्षेत्रों में इजरायलियों के प्रवास की सभी गतिविधियों को फौरन रोकने की मांग की गई है और इस क्षेत्र को इजरायल में शामिल करने की भी आलोचना की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव के प्रारूप को नौ नवंबर को स्वीकार किया था। इसका शीर्षक "पूर्वी यरुशलम सहित कब्जा किए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र और सीरियाई गोलान हाइट्स में इजरायली बस्तियां" था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने भारत द्वारा फिलिस्तीन के पक्ष में वोट देने पर भारत सरकार को बधाई दी है।

उर्दू टाइम्स (7 नवंबर) के अनुसार भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह हमास पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। हालांकि, अमेरिका और जर्मनी हमास को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि क्योंकि हमास भारत में सक्रिय नहीं है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इसके कारण अरब देशों के साथ भारत के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला गृह मंत्रालय यूएपीए कानून के तहत लेती है। फरवरी 2023 तक इस कानून के तहत भारत में 44 संगठनों को प्रतिबंधित किया गया था। भारत ने अंतिम बार 2015 में आईएसआईएस को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इजरायल पर हमास के हमले की निंदा के सिलसिले में भारत ने जो बयान दिए हैं, उनमें भी हमास को कोई उल्लेख नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध न करने पर दुख जताया है।

अमेरिकी संसद में इजरायल के लिए 14.5 अरब डॉलर की सैन्य सहायता मंजूर

इंकलाब (4 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी संसद ने इजरायल के लिए साढ़े 14 अरब डॉलर की सैन्य सहायता का पैकेज मंजूर कर लिया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 226 में से 196 मत पड़े। अब यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सीनेट के पास जाएगा, जहां पर सत्तारूढ़ दल डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। इसके बाद मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। दूसरी ओर, राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कांग्रेस से कहा था कि वह रिपब्लिकन पार्टी के इस विधेयक के बजाय हमारे 106 बिलियन डॉलर के आपातकालीन पैकेज को पास करे, जिसमें इजरायल, ताइवान और यूक्रेन की सहायता करने की व्यवस्था है। लेकिन क्योंकि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी का बहुमत है, इसलिए उनकी पार्टी द्वारा पेश यह विधेयक पारित हो गया। हालांकि, इस विधेयक को सीनेट और अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना मुश्किल नजर आता है। गौरतलब है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने सबसे ज्यादा सैन्य सहायता इजरायल को दी है, जोकि 124 बिलियन डॉलर है। अमेरिका 2016 से इजरायल को दस वर्षीय योजना के तहत हर वर्ष 3.8 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता दे रहा है।

पाकिस्तान सरकार ने लाखों अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान भेजा

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (7 नवंबर) के अनुसार तोरखम सीमा से अब तक एक लाख 70 हजार अफगान नागरिकों को उनके देश में धकेला जा चुका है। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे 17 लाख से अधिक अफगान नागरिकों को जबरन अफगानिस्तान भेजा जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान में रहने वाले गैरपंजीकृत विदेशी नागरिक फौरन पाकिस्तान छोड़कर अपने-अपने देश चले जाएं, वरना पाकिस्तानी कानून के तहत उन्हें जबरन उनके देशों में भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की जेलों में जो अफगान नागरिक कैद हैं, उन्हें भी अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। एक नवंबर से चार नवंबर तक 500 से अधिक अफगान कैदियों को अफगानिस्तान भेजा जा चुका है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (1 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने अब तक तीन लाख से अधिक अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान भेज दिया है। पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां गैरकानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले अफगान नागरिकों की तलाश कर रही हैं और उन्हें हिरासत में रखने के लिए देश भर में हिरासती केंद्र भी बनाए गए हैं। अब तक सिर्फ कराची से ही सवा लाख से अधिक अफगान नागरिकों को उनके देश भेजा जा चुका है। हालांकि, अमेरिका और कुछ अन्य देशों का पाकिस्तान पर यह दबाव था कि वह अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करे, मगर पाकिस्तान ने अपना फैसला बदलने से इंकार कर दिया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगती ने कहा है कि जो भी पाकिस्तानी व्यक्ति इन अफगान नागरिकों को छिपाएगा या उन्हें अपना मकान किराए पर देगा, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ■

मलेशिया द्वारा हमास का समर्थन जारी रखने का फैसला

रोजनामा सहारा (9 नवंबर) के अनुसार मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मलेशिया की संसद मे यह घोषणा की है कि मलेशिया फिलिस्तीन के साथ-साथ हमास का समर्थन भी जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम हमास पर किसी भी तरह के प्रतिबंध या उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री विपक्ष के एक नेता के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमास

के विदेशी समर्थकों पर प्रतिबंध लगाने का जो फैसला किया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका उत्तर देते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस तरह की कोई धमकी स्वीकार नहीं करेंगे। यह अमेरिका का एकतरफा फैसला है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। हम सिर्फ संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद के निर्णय पर अमल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका मलेशिया पर कोई प्रतिबंध लगाता है तो उसका अमेरिकी कंपनियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। मुस्लिम देश मलेशिया द्वारा काफी समय से फिलिस्तीनी मुद्दों का समर्थन किया जाता रहा है और हमास के कई नेता अनेक बार मलेशिया का दौरा कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिका द्वारा मलेशिया पर हमास की निंदा करने के लिए दबाव डाला गया था, जिसे मानने से उसने इंकार कर दिया था। इस पर अमेरिका ने चिंता प्रकट की थी।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 दिसंबर) के अनुसार इंडोनेशिया के 100 से अधिक मुस्लिम उलेमा ने एक सामूहिक फतवा जारी करते हुए कहा है कि ऐसी कंपनियां जो इजरायल का समर्थन करती हों, उनके उत्पादों का इंडोनेशिया की जनता बहिष्कार करे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल की ओर से इस संदर्भ में एक फतवा जारी करके विश्व भर के मुसलमानों से अपील की गई है कि वे आक्रांता इजरायल की निंदा और फिलिस्तीनियों का समर्थन करें। फतवा में इजरायल का समर्थन करने वालों और उसके समर्थकों की मदद करने को शरिया के अनुसार हराम करार दिया गया है।

आतंकवाद के भीषण शिकंजे में पाकिस्तान

अवधनामा (5 नवंबर) के अनुसार) के अनुसार पाकिस्तानी सेना की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक आतंकियों के एक गिरोह ने पाकिस्तान में वायुसेना के एक महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र मियांवली पर हमला किया था। इस हमले में एयरबेस पर खड़े पाकिस्तानी सेना के तीन लड़ाकू विमान तबाह हो गए। जवाबी कार्रवाई में सेना ने सभी नौ आतंकियों को मार गिराया। जबकि इससे पहले ही तीन आक्रमणकारियों को प्रशिक्षण केंद्र और एयरबेस में दाखिल होने का प्रयास करने पर पहले ही मार गिराया गया था। इस हमले की जिम्मेवारी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। यह आतंकी गिरोह हाल ही में प्रकाश में आया है। इसका संबंध तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से बताया जाता है। यह आतंकी संगठन जुलाई महीने में बलूचिस्तान में स्थित एक पाकिस्तानी सैनिक अड्डे पर हमला करके 12 पाकिस्तानी फौजियों को मार चुका है। यह हमला उस समय हुआ है जब पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वाले अफगान नागरिकों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है।

अवधनामा (4 नवंबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में बस अड्डे के समीप आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के एक वाहन पर बमों से हमला किया, जिसमें कम-से-कम पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और

21 जख्मी हुए। इसी क्षेत्र में 31 अक्टूबर को आतंकियों ने एक पुलिस शिविर पर हमला करके एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी और उसी दिन दक्षिण वजीरिस्तान में आतंकियों ने एक सैनिक काफिले पर हमला करके दो फौजी मार दिए थे।

अवधनामा (8 नवंबर) के अनुसार डेरा इस्माइल खान में स्थित तेल और गैस कंपनी के शिविर पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें दो पुलिस अधिकारी मारे गए और तीन घायल हो गए। पुलिस उपाधीक्षक असगर अली शाह ने कहा है कि घायलों में से एक अधिकारी की हालत चिंताजनक है। पुलिस सारे क्षेत्र में आतंकियों की तलाश कर रही है और जगह-जगह छापे मारे जा रहे हैं। इस हमले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है।

इंकलाब (10 नवंबर) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला ग्वादर में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के एक वाहन पर हमला किया और उसे धमाके से उड़ा दिया। इस हमले में 14 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की खोजबीन के लिए तलाशी अभियान चला रही है। कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने इस हमले की निंदा करते हुए देशवासियों को आश्वासन दिया है कि उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना कटिबद्ध है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तानी के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आत्मघाती आतंकी हमलों में पांच गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी अफगानिस्तान की भूमि को पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह आशा थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आतंकी हमलों में कमी आएगी, मगर पिछले दो वर्षों में दो हजार से अधिक मासूम पाकिस्तानियों की आतंकियों द्वारा हत्या की जा चुकी है। इन हत्याओं के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ है। इन हमलों के सिलसिले में 15 अफगान नागरिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 64 अफगान नागरिक पाकिस्तानी सुरक्षाबलों द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमने इन हमलों के बारे में अफगानिस्तान सरकार को विधिवत सूचना दी है और हम उनसे बार-बार यह मांग कर रहे हैं कि

वे आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं।

रोजनामा सहारा (10 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बयान पर टिप्पणी करते हुए अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम भी अपनी देश की तरह पाकिस्तान में भी शांति चाहते हैं। अमीरात-ए-इस्लामिया अफगानिस्तान पड़ोसी देश के खिलाफ अपनी भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखना और आतंकी गतिविधियों का उन्मूलन करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेवारी है, मगर क्योंकि वह आतंकी गतिविधियों का उन्मूलन करने में विफल रही है, इसलिए वह जानबूझकर अपना दोष अफगान सरकार पर मढ़ रही है।

म्यांमार में 50 हजार लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर

अवधनामा (12 नवंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक ने यांगून में पत्रकारों को बताया कि उत्तरी म्यांमार में विभिन्न गिरोहों के बीच सशस्त्र संघर्ष जारी है और उन्होंने म्यांमार की सेना को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चीनी सीमा के करीब उत्तरी शान क्षेत्र में विद्रोहियों और सेना के बीच सशस्त्र झड़पें जारी हैं, जिसमें अनेक लोग मारे गए हैं और 50 हजार से अधिक लोगों को अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी ने चीन को जाने वाले सभी व्यापारिक मार्गों को बंद कर दिया है और उन्होंने दर्जनों सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अभी तक सेना और विद्रोहियों के बीच झड़पें जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र के संपर्क कार्यालय के अनुसार शान सूबे में इंटरनेट और संचार साधन ठप हो गए हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो राहत कार्य चलाया जा रहा था उस पर भी प्रभाव पड़ा है। इस महीने सगाइंग और काचिन क्षेत्र में सेना और विद्रोहियों के बीच जारी झड़पों के कारण काफी लोग मारे गए हैं। म्यांमार की सेना ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है और वह इस खबर को दबाने का प्रयास कर रही है।

इस्लामी देश इजरायल के खिलाफ निर्णायक फैसला लेने में विफल

सहाफत (14 नवंबर) के अनुसार गाजा की स्थिति पर पिछले दिनों इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) और अरब लीग का जो संयुक्त अधिवेशन सऊदी अरब में बुलाया गया था, उसमें अरब देश इजरायल के खिलाफ कोई निर्णायक फैसला लेने में विफल रहे हैं। इन संगठनों के बयान में इजरायल की निंदा की गई है। विदेशी संवाद समितियों के अनुसार इस अधिवेशन में इजरायल से फौरन बमबारी रोकने और गाजा में फंसे हुए फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित मार्ग देने की मांग की गई है। तमाम मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ किसी आर्थिक या राजनीतिक कार्रवाई करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। इस अधिवेशन से पहले अरब लीग के अधिवेशन में भी तमाम मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाने का फैसला नहीं कर सके थे। इसलिए इस गतिरोध को रोकने के लिए ओआईसी और अरब लीग का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। अधिवेशन में अल्जीरिया और लेबनान आदि कुछ मुस्लिम देशों ने यह मांग जरूर की कि इजरायल की वहशियाना बमबारी की प्रतिक्रिया के रूप में इजरायल और उसके समर्थकों को तेल और गैस की सप्लाई रोक दी जाए। इसके अतिरिक्त इन दोनों देशों ने यह भी मांग की कि जिन अरब देशों ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बना रखे हैं, वे उसे फौरन तोड़ दें। इजरायल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं, मगर इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।

सियासत (14 नवंबर) के अनुसार हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान का कहना है कि सऊदी अरब में ओआईसी और अरब लीग का जो अधिवेशन हुआ था, वह फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व ओआईसी की कार्यकारिणी की बैठक 18 अक्टूबर

को सऊदी अरब के जेद्दा में हुई थी, मगर क्योंकि उसमें भी इजरायल के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाने पर सहमति नहीं बन सकी थी, इसलिए ओआईसी और अरब लीग का संयुक्त अधिवेशन 12 नवंबर को सऊदी अरब में बुलाने का निर्णय हुआ था। उल्लेखनीय है कि 57 मुस्लिम देश ओआईसी के सदस्य हैं। इस अधिवेशन में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने विशेष रूप से भाग लिया। गौरतलब है कि इससे पहले ओआईसी की कार्यकारिणी की बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने किया था।

सियासत (12 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लामी देशों के प्रमुखों के अधिवेशन के उद्घाटन भाषण में यह मांग की कि इजरायल गाजा में फौरन युद्धविराम की घोषणा करे। इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद इजरायल के खिलाफ कोई भी कारगर कदम उठाने में विफल रहा है। इस अधिवेशन में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद, इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायव भी शामिल हुए।

उर्दू टाइम्स (5 नवंबर) ने अपने संपादकीय में यह शिकायत की है कि युद्ध में उतरे बिना भी विश्व के मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि अरब देशों ने इजरायल और उसके समर्थक देशों को तेल और गैस की सप्लाई को बंद करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। हैरानी की बात यह है कि दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए हैं, मगर किसी भी अरब देश ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की है।

उर्दू टाइम्स (2 नवंबर) ने अपने संपादकीय में शिकायत की है कि गाजा लहूलुहान हो रहा है और विश्व भर के मुस्लिम देश मूकदर्शक बने फिलिस्तीनियों के नरसंहार को देख रहे हैं। हर मुस्लिम देश यह धमकी जरूर दे रहा है कि अब बहुत हो चुका और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि आखिर ये देश कब तक इजरायल के खिलाफ कोई कदम उठाने से बचते रहेंगे। अरब देशों के इस रवैये के कारण इजरायल की बमबारी रूकने का नाम नहीं ले रही है और 11 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि गाजा पर इजरायल की अंधाधुंध बमबारी के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए दक्षिणी अमेरिका के तीन देशों बोलीविया, चिली और कोलंबिया ने इजरायल से अपने राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। वहीं, अभी तक सिर्फ एक ही मुस्लिम देश बहरीन ने इजरायल के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने का हौसला दिखाया है। बाकी किसी भी अरब देश ने यह हिम्मत नहीं की है।

मुस्लिम देशों से अपनी सीमाएं खोलने की अपील

इत्तेमाद (12 नवंबर) के अनुसार इस्लामिक जगत के 100 से अधिक सर्वोच्च उलेमा ने विश्व भर के मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों का शिकार होने वाले फिलिस्तीनियों को शरण देने के लिए अपनी सीमाएं खोल दें। यह अपील जारी करने वालों में मिस्र के विश्व विख्यात इस्लामी विश्वविद्यालय अल-अजहर के ग्रैंड इमाम शेख अहमद अल-तैयब प्रमुख हैं। अल-अजहर विश्वविद्यालय के ग्रैंड इमाम ने सभी अरब देशों के प्रमुखों को एक पत्र भेजा है, जिसमें उनसे यह अपील की गई है कि वे अपने फिलिस्तीनी भाईयों के खिलाफ इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं, क्योंकि ऐसा करना हमारा दीनी कर्तव्य है और इसके लिए हम अल्लाह के सामने उत्तरदायी हैं।

समाचारपत्र के अनुसार शेख अहमद अल-तैयब ने सभी मुस्लिम देशों के प्रमुखों को जो पत्र लिखा है, उसमें कहा गया है कि हमें यह आशा और विश्वास है कि आप लोग फिलिस्तीन में यहूदियों की आक्रामकता को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और कुरान पाक की इस आयत को याद रखेंगे कि इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद में हिस्सा लेना हर मुसलमान का दीनी कर्तव्य है और इसमें किसी तरह की कोताही नहीं की जा सकती, क्योंकि अंत में आपकी विजय होगी। उन्होंने कहा कि तुम मोमिन हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है। पत्र के अंत में मुस्लिम देशों से यह कहा गया है कि फिलिस्तीन में अपने भाईयों पर जुल्म और उनके नरसंहार को रोकने के लिए आप जो प्रयास करेंगे, अल्लाह उन्हें सफल बनाएगा। इस्लामी जगत के 100 सर्वोच्च उलेमा ने सभी अरब और मुस्लिम देशों से यह अपील की है कि वे इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों का शिकार फिलिस्तीनियों को शरण देने के लिए अपने देश की सीमाएं खोल दें, ताकि इजरायल के नरसंहार से उनकी प्राणों की रक्षा की जा सके। मुस्लिम पीड़ितों के लिए अपनी सीमाओं को बंद करना खुदा और उसके रसूल के साथ गद्दारी है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 नवंबर) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा के अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों को अपना निशाना बना कर उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा पर इजरायली हमले के कारण 179 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और उन्हें एक सामूहिक कब्र में दफना दिया गया है। इनमें बच्चे और रोगी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इजरायली सेना ने पिछले एक सप्ताह से अल-शिफा को चारों ओर से घेर रखा था और उसकी बिजली काट दी थी,

जिससे पूरा अस्पताल का कामकाज ठप हो चुका था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अस्पताल में 500 से अधिक मरीज, 500 डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारी और इजरायली बमबारी के शिकार तीन हजार लोगों ने शरण ली हुई थी। सात अक्टूबर से फिलिस्तीनियों पर इजरायली हमलों के कारण अब तक 12 हजार से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें साढ़े चार हजार बच्चे और तीन हजार से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं। इजरायली बमबारी से 41 हजार से अधिक मकान तबाह हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस बमबारी से 94 सरकारी भवन और 71 मस्जिदें भी ध्वस्त हो गई हैं। फिलिस्तीन सरकार के सूत्रों के अनुसार गाजा में मरने वालों की संख्या 14 हजार को पार कर चुकी है। इजरायली टैंक गाजा को दो भागों में बांटने के लिए अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं और वहां उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं है।

हमारा समाज (15 नवंबर) के अनुसार फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की सैन्य शाखा ने कहा है कि हमास पांच दिन के युद्धविराम के बदले में सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। बताया जाता है कि इस संबंध में उन्होंने एक संदेश कतर के मध्यस्थों को भेजा है, जोकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्धविराम करने का प्रयास कर रहे हैं।

20 देशों के नागरिकों के लिए दुबई के यात्रा वीजा पर प्रतिबंध

इंकलाब (5 नवंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने 20 देशों के नागरिकों पर दुबई के यात्रा वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस प्रतिबंध का लक्ष्य संयुक्त अरब अमीरात में निर्धारित समय से अधिक प्रवास और गैरकानूनी नौकरियों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। जिन देशों के नागरिकों पर यह पाबंदी लगाई गई है, उनमें बुरुंडी, गिनी गणराज्य, गाम्बिया, टोगो, कांगो, घाना, सिएरा लियोन, सूडान, कैमरून, नाइजीरिया, लाइबेरिया, सेनेगल, आईवरी कोस्ट, गिनी-बिसाऊ, कोमोरोस आदि शामिल हैं। सरकारी सूचना के अनुसार भविष्य में नाइजीरिया के उन नागरिकों को कोई यात्रा वीजा जारी नहीं किया जाएगा, जिनकी उम्र 40 साल से कम है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात ने यह घोषणा की है कि इजरायली हमलों में जख्मी होने वाले एक हजार फिलिस्तीनी बच्चों को इलाज के लिए संयुक्त अरब अमीरात लाया जाएगा। इसके साथ ही उनके परिवारों को भी देश में आने की अनुमति दी गई है, मगर बच्चों का इलाज पूरा होने के बाद उन्हें अपने देशों में वापस जाना होगा। इस इलाज का पूरा खर्च संयुक्त अरब अमीरात की सरकार वहन करेगी।

सूडान में सेना और मिलिशिया के बीच खूनी झड़पें

इंकलाब (15 नवंबर) के अनुसार सूडान की राजधानी खार्तूम के दक्षिण में स्थित जेबेल औलिया क्षेत्र में सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) के बीच युद्ध फिर से शुरू हो गया है। आरएसएफ के सूत्रों ने अरब वर्ल्ड न्यूज को बताया कि अल-नुजौमी एयरबेस को सूडानी सेना के कब्जे से मुक्त करवाने के लिए आरएसएफ ने वहां पर हमला किया था, जिसके बाद वहां पर तैनात सूडानी सैन्य दस्तों को भागना पड़ा। दूसरी ओर, सूडानी सेना के प्रवक्ता

ब्रिगेडियर जनरल नबील अब्दुल्ला ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि अल-नुजौमी एयरबेस अभी तक सरकारी सेना के कब्जे में है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस एयरबेस पर आरएसएफ ने हमला तो किया था, मगर सेना ने उसे विफल बना दिया है और आरएसएफ के दर्जनों लोग मारे गए हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार ओमडुरमैन नामक स्थान पर आरएसएफ और सरकारी सेना के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं। मीडिया के अनुसार इस नगर पर कब्जे के लिए दोनों पक्षों में जबर्दस्त सशस्त्र संघर्ष हो रहा है, जिसमें काफी लोग मारे गए हैं। सेना के पांचवें डिविजन के मुख्यालय पर नियंत्रण के लिए आरएसएफ ने हमला कर दिया है। गौरतलब है कि सूडान पिछले दो वर्षों से गृहयुद्ध का शिकार है और इस गृहयुद्ध में कम-से-कम एक लाख लोग मारे जा चुके हैं। जबकि दस लाख लोगों को अपने घर द्वार छोड़ने पड़े हैं। अमेरिका ने दोनों पक्षों में युद्धविराम करने का जो प्रयास किया था वह विफल हो गया है और दोनों पक्षों के बीच सशस्त्र संघर्ष दिन-प्रतिदिन तीव्र रूप ले रहा है।

टिप्पणी: सूडान की जनसंख्या चार करोड़ से भी अधिक है, जिसमें 70 प्रतिशत के लगभग अरब मुस्लिम हैं। सूडान में सोना, प्लैटिनम, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट आदि के विशाल भंडार हैं। जबकि दक्षिण सूडान को अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अलग देश घोषित किया था। इसमें केवल छह प्रतिशत मुसलमान हैं। जबकि शेष आबादी ईसाईयों की है। सूडान का यह दुर्भाग्य है कि पिछले तीस वर्षों से वहां पर गृहयुद्ध जारी है, जिसमें कम-से-कम 20 लाख लोग मारे जा चुके हैं। मई 1986 से लेकर 1989 तक वहां अहमद अल-मिरघानी सत्तारूढ़ रहे। मगर 1989 में ही सूडानी सेना के तत्कालीन प्रमुख उमर अल-बशीर ने विद्रोह करके सत्ता अपने हाथों में ले ली और वे तीस वर्ष तक सूडान के तानाशाह रहे। इसके बाद जनाक्रोश और सरकार विरोधी प्रदर्शनों व हड़तालों के कारण सूडान में 2019 में एक सैनिक क्रांति हुई और सूडानी सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और उनके सहयोगी एवं रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के सेनापति जनरल मोहम्मद हमदान डागालो को उन्होंने सूडान का उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया।

बताया जाता है कि इन दोनों दोस्तों के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर तीन वर्ष पहले संघर्ष छिड़ गया और तब से यह जंग जारी है।

बताया जाता है कि आरएसएफ के प्रमुख डागालो की मांग थी कि उनकी फोर्स को भी सूडानी सेना में शामिल किया जाए, मगर तानाशाह बुरहान ने इसे मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद वहां पर गृहयुद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण सूडान की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम की घोषणा की गई, मगर यह स्थिर सिद्ध न हुआ और अब दोनों पक्षों के बीच फिर से संघर्ष छिड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सूत्रों के अनुसार देश की पूरी मेडिकल व्यवस्था ठप हो गई है, जिसके कारण सड़कों पर शव सड़ रहे हैं और वहां पर अनेक तरह की महामारियां फैल गई हैं।

कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को बचाने का प्रयास

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 नवंबर) के अनुसार कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में जो मौत की सजा सुनाई थी, उसके खिलाफ भारत सरकार की ओर से एक अपील दायर की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के प्रयासों के कारण भारतीय दूतावास के अधिकारियों को मौत की सजा पाए नौसेना के पूर्व अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस मामले में कतर सरकार के संपर्क में है। यह मामला क्योंकि बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस संबंध में अधिक जानकारी देना संभव नहीं है। हमने इन भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एक अपील दायर की गई है। भारत सरकार आरोपियों के रिश्तेदारों के संपर्क में है। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि भारत इन आरोपियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में सभी तरह के राजनयिक चैनलों का सहारा ले रहे हैं और भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

सहाफत (8 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कतर में भारतीय नौसेना के जिन आठ पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है, उससे पूरा देश चिंता में डूब गया है। सवाल यह है कि कतर की अदालत से मौत की सजा का फैसला आने के बाद ही सरकार क्यों सक्रिय हुई? जबकि यह मुकदमा वहां की अदालत में डेढ़ साल पहले दर्ज हुआ था और तभी इस मामले को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में उठाया था, मगर सरकार निष्क्रिय बनी रही। समाचारपत्र ने इस संबंध में कुछ सवाल उठाए हैं और कहा है कि कतर और इजरायल दोनों भारत के नजदीकी दोस्तों में हैं।

क्या इन लोगों की जान बचाने के लिए बड़े वकीलों की सेवाएं लेना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? नेताओं के मुकदमों में करोड़ों रुपये फीस देकर महंगे वकीलों की सेवाएं प्राप्त करने वाली सरकार इस मामले में क्यों बेबस है? क्या यह सरकार की लापरवाही और उसकी राजनयिक विफलता का संकेत नहीं है? इधर भारतीय मीडिया और विशेष तौर पर टीवी चैनलों द्वारा कतर के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उससे यह मामला और उलझता जा रहा है और इन हिंदुस्तानियों की जान के लिए और अधिक खतरा बढ़ गया है। इन बेलगाम टीवी एंकरों को विदेशी मामलों में ऐसी मूर्खतापूर्ण और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कार्यक्रम प्रसारित करने की क्या जरूरत है?

समाचारपत्र ने दावा किया है कि भारत सरकार शायद इस मामले में राजनीतिक हितों को साधने का प्रयास कर रही है। इसलिए कतर और हमास के मामले में इन चैनलों द्वारा इस्लाम विरोधी कार्यक्रमों को बिना रोक टोक के प्रसारित करने दिया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी की सरकार और उनकी पार्टी का रवैया भारतीय मुसलमानों के बारे में कुछ भी रहा हो, लेकिन अरब देशों और मुस्लिम जगत से उसके संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण रहे हैं। मोदी शायद पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मुस्लिम देशों के सबसे ज्यादा दौरे किए हैं और उन्हें हर मुस्लिम देश ने अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि हिंदुत्व के नशे में मस्त तत्वों द्वारा भारत और अरब देशों के दोस्ताना संबंधों में पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि जो भारतीय मूल के लोग वहां नौकरी कर रहे हैं और वहां से करोड़ों रुपये कमाते हैं, वे भी अपनी मुस्लिम दुश्मनी को छिपा नहीं रहे हैं। ताजा उदाहरण बहरीन के अस्पताल में कार्यरत एक बड़े डॉक्टर का है, जिन्होंने हमास के बारे में एक ऐसा ट्विट किया जिसके कारण उन्हें न सिर्फ अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया।

समाचारपत्र ने कहा है कि सरकारी तौर पर इन देशों के शासक भले ही चुप रहे हों, मगर व्यक्तिगत रूप से वहां की जनता और शासक वर्ग के लोगों ने भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई है। भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने जब रसूल की शान में गुस्ताखी की तो पहली बार कतर सहित खाड़ी के सभी मुस्लिम देशों ने इस पर विरोध प्रकट किया, जिस पर नूपुर शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया और इन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को स्पष्टीकरण जारी करके वहां की सरकारों को संतुष्ट करना पड़ा।

समाचारपत्र का कहना है कि कतर में सजा पाने वाले इन हिंदुस्तानियों का मामला काफी गंभीर है और इस मामले में वास्तविकता का पता लगाना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। अगर ये लोग निर्दोष हैं तो उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसमें कतर की अदालत में अपील करना और कतर के अमीर से क्षमादान की अपील करना शामिल है। अगर इनमें विफलता मिलती है तो इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी ले जाया जा सकता है। अगर इन लोगों ने वास्तव में यह अपराध किया है तो यह न सिर्फ कतर के साथ धोखा है, बल्कि भारत के हितों के भी खिलाफ है और उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि, फिर भी उन्हें फांसी से बचाने और उनकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला आठ हिंदुस्तानियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस संबंध में हमें हर कदम फूंक-फूंककर उठाना चाहिए। वैसे भी अरब और खाड़ी देशों के साथ भारत के बहुत से हित जुड़े हुए हैं। तेल और गैस की सप्लाई के लिए हम उन पर निर्भर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों में डेढ़ करोड़ से अधिक हिंदुस्तानी नौकरी

और रोजगार में हैं और उससे हमें मोटी धनराशि विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है। लेकिन देश के संकुचित दृष्टिकोण वाले मुस्लिम दुश्मन तत्व इन संबंधों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्हें देश के हितों से ज्यादा मुस्लिम दुश्मनी प्यारी है। देश हित की यह मांग है कि उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए।

उर्दू टाइम्स (7 नवंबर) में रशीदुद्दीन का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कतर में भारतीय नौसेना के जिन पूर्व अधिकारियों को इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है, उससे देश भर में हलचल पैदा हो गई है। मोदी सरकार ने इन आरोपियों के परिवारजनों को यह विश्वास दिलाया है कि हम इस मामले का कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे। वैसे हर अरब देश में जासूसी को बेहद गंभीर अपराध माना जाता है और उसकी सजा मौत है। ये लोग जॉर्डन की एक कंपनी की ओर से काम कर रहे थे। इस कंपनी के निदेशक को भी इस संबंध में गिरफ्तार किया गया था, मगर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत अपने नागरिकों को फांसी से कैसे बचाएगा? इस संबंध में पहला तो यह है कि इस फैसले के खिलाफ कतर की सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाए। इसके अतिरिक्त कानूनी और राजनयिक सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा विकल्प यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस संबंध में कतर के अमीर से सीधी बातचीत करें। इस बातचीत को सफल बनाने के लिए मोदी अपने अरब दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन कतर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, कुवैत इस मामले में भारत की कुछ मदद कर सकता है। आखिरी विकल्प यह है कि इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक ले जाया जाए। कतर में आठ लाख हिंदुस्तानी नौकरी और रोजगार कर रहे हैं। अरब देशों के साथ हालांकि भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं, मगर यह भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक संगठनों द्वारा मुसलमानों का उत्पीड़न व उनके साथ जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है, उसके कारण अरब देशों की जनता में गुस्सा है। कतर का यह मामला भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि इसका अरब जनता की भारतीय मूल के लोगों के प्रति भरोसा और विश्वास पर बुरा असर पड़ेगा। इसके कारण भविष्य में अरब देशों में हिंदुस्तानियों को नौकरी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है और विशेष रूप से उन्हें संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाएगा। अक्टूबर 2015 में कतर के अमीर के भारत दौरे के मौके पर कतर और भारत के बीच अपराधियों और कैदियों के बारे में एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों में सजा पाने वाले कैदियों को उनके अपने देश में सजा की अवधि पूरी करने का प्रावधान है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस समझौते को इस मामले में कार्यान्वित किया जाएगा? ■

क्या ईरान और अमेरिका में युद्ध छिड़ सकता है?

मुंबई उर्दू न्यूज (11 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी सेना पर ईरान समर्थक तत्वों के हमले के कारण दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान समर्थकों पर रॉकेट व ड्रोन हमलों में वृद्धि कर दी है। अमेरिका ने ईरान समर्थक सेना पर 16 अक्टूबर से अब तक इराक में कम-से-कम 14 और सीरिया में नौ हमले किए हैं। पेंटागन ने यह घोषणा की है कि वह उन ठिकानों पर हमले कर रहा है जिनके तार तेहरान से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि हम ईरान के आक्रामक इरादों को देखते हुए उसके नेटवर्क पर अपने हमलों को तेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध की ज्वाला को भड़काना नहीं चाहता, मगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस अधिकारी ने कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए जा रहे हैं उसका इजरायल-हमास युद्ध से कोई संबंध नहीं हैं। इराक और सीरिया के कुछ क्षेत्रों पर ईरान समर्थक आतंकी गुटों ने कब्जा कर रखा है। उनके हमलों को रोकने के लिए इराक में ढ़ाई हजार और सीरिया में 900 से अधिक अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (6 नवंबर) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियान ने यह धमकी दी है कि अमेरिका द्वारा इजरायल को जिस तरह से सैन्य सहायता दी जा रही है उसे देखते हुए इस बात की संभावना बढ़ गई है कि भविष्य में यह युद्ध गाजा तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य देशों में भी फैल सकती है।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 नवंबर) के अनुसार हिजबुल्लाह के प्रवक्ता नईम कासिम ने यह धमकी दी है कि अगर गाजा में इजरायली हमले जारी रहे तो यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। नईम कासिम आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का उपमहासचिव है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका ने इन हमलों को रोकने के लिए तुरंत कोई

कार्रवाई नहीं की तो मध्य पूर्व में जितने अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। उसने सफाई दी कि हिजबुल्लाह यह कार्रवाई इसलिए करेगा ताकि गाजा में इजरायली हमलों को कम किया जा सके।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (6 नवंबर) के अनुसार इजरायल के एक मंत्री अमीचाई एलियाहू ने यह धमकी दी है कि इजरायल गाजा में परमाणु बम का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेगा। उनके इस बयान से इजरायली सरकार और प्रधानमंत्री नेतन्याहू परेशान हैं और उन्होंने इस इजरायली मंत्री को बर्खास्त कर दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगर गाजा में फिलिस्तीनी आत्मसमर्पण करते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि इस पूरे क्षेत्र में ईरान को मुंह की खानी पड़ी है। समाचारपत्र ने कहा है कि फिलिस्तीनी अपना वजूद बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। अगर इजरायली पूरे फिलिस्तीनियों को खत्म भी कर दें तो इस क्षेत्र के मुस्लिम देश इजरायल को चैन नहीं लेने देंगे और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं हो जाती।

उर्दू टाइम्स (6 नवंबर) के अनुसार हमास के प्रमुख इस्माइल हानियेह ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों का यह फर्ज है कि वे इजरायली आक्रामकता के खिलाफ एकजुट हो जाएं। पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने इस संदर्भ में कतर में हमास के नेताओं खालिद मिशाल और इस्माइल हानियेह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 नवंबर) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से मुलाकात के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए इजरायल का समर्थन कर रहा है। उन्होंने मांग की कि इजरायल को गाजा पर फौरन बमबारी बंद करनी चाहिए और इस संबंध में एक विधिवत युद्धविराम की घोषणा करनी चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 नवंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमलों का सिलसिला बंद नहीं किया तो उसको इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरी ओर, अमेरिकी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि हिजबुल्लाह को इजरायल-हमास युद्ध का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमेरिका इस विवाद का अन्य देशों तक फैलना बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।

इंकलाब (8 नवंबर) के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अचानक इराक का दौरा किया और इराक के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ब्लिंकन ने इराक के प्रधानमंत्री पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वे ऐसे तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें, जो इराक में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमलों में लिप्त हैं। हाल के दिनों में ईरान समर्थक सशस्त्र संगठनों ने इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपने हमलों का निशाना बनाया है। इससे पूर्व ब्लिंकन ने इराक के सुरक्षाधिकारियों से भी उच्चस्तरीय बातचीत की। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इराकी प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि वे इराक स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि भविष्य में अमेरिकी अड्डों पर इस तरह का कोई हमला न हो। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

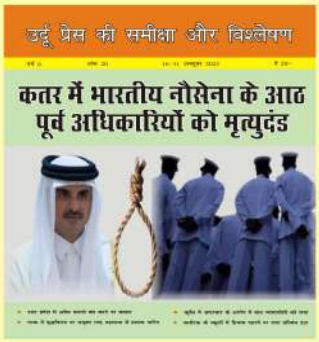

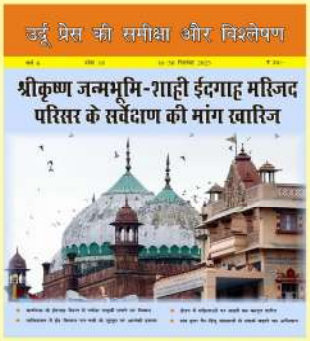

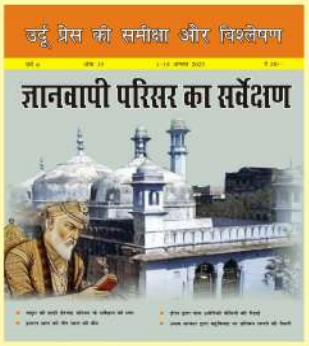

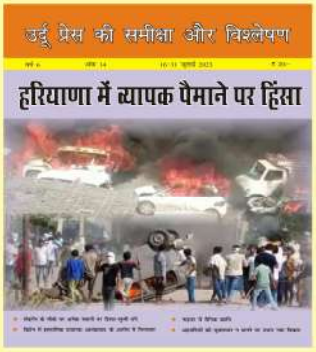

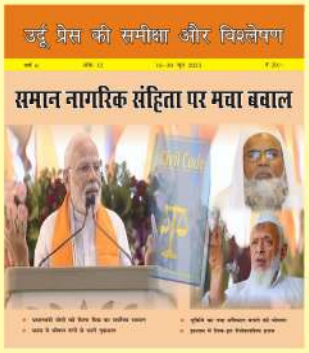

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in